

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-19/1455/पांच-8-2016-जी0(117)/2016

लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-168(1)/चि0-3-2012-03(नियुक्ति)/2011, दिनांक 21-02-2012 द्वारा डा0 सतीश कुमार जायसवाल, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। डा0 जायसवाल द्वारा अपनी योगदान आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच द्वारा डा0 जायसवाल की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरीघाट बहराइच में की गयी, जहां डा0 जायसवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। वर्ष 2013 में डा0 जायसवाल का चयन पी0जी0(डी0सी0एच0) में हो जाने के कारण दिनांक 14-06-2013 को अध्ययन अवकाश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पी0जी0 अध्ययनरत हो गये। डा0 जायसवाल द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के पत्र दिनांक 06-10-2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 सतीश कुमार जायसवाल, चिकित्साधिकारी पी0जी0 (डी0सी0एच0) को मुख्य चिकित्साधिकारी, महाराजगंज के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। डा0 जायसवाल की पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 सतीश कुमार जायसवाल, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 18-06-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, महाराजगंज के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया
संयुक्त सचिव।

क्रमशः

संख्या-19/1455 (1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 50प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 सतीश कुमार जायसवाल, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 18-06-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 50प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर/देवी पाटन मण्डल, गोण्डा।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच/महराजगंज।
- 7- कोषाधिकारी, बहराइच/महराजगंज।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 50प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- ✓10- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-20/1452/पांच-8-2016-जी0(53)/2016
लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-999/चि0-3-2010-03(नियुक्ति)/2010, दिनांक 15-04-2010 द्वारा डा0 गोपाल, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। डा0 गोपाल द्वारा अपनी योगदान आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात के कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात द्वारा डा0 गोपाल की तैनाती नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उरसान, कानपुर देहात में की गयी, जहां डा0 गोपाल द्वारा दिनांक 29-06-2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया। वर्ष 2012 में डा0 गोपाल का चयन पी0जी0(डी0सी0एच0) में जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर में हो गया। डा0 गोपाल को आदेश दिनांक 14-05-2012 द्वारा पी0जी0 काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। डा0 गोपाल द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 13-04-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 गोपाल, चिकित्साधिकारी पी0जी0 (डी0सी0एच0) को मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। डा0 गोपाल की पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 गोपाल, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 18-06-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया
संयुक्त सचिव।

क्रमशः

संख्या- 20/1452(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा० गोपाल, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 18-06-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात।
- 6- कोषाधिकारी, कानपुर देहात।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 8- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी०जी० कोर्स का संगत प्रमाणपत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-21/1421/पांच-8-2016-म0(30)/2014

लखनऊ: दिनांक 18 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/589/पांच-8-2015-म0(30)/2014, दिनांक 12-02-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैंड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 रज्जन बाबू की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली के अधीन की गयी। डा0 रज्जन बाबू डिप्टी कमाण्डेन्ट(सीनियर मेडिकल आफिसर) के पद से कार्यमुक्त न होने के कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 रज्जन बाबू को मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- डा0 रज्जन बाबू, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तैनाती स्थल पर दिनांक 18-06-2016 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-02-2015 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

जी0सी0 कठेरिया
संयुक्त सचिव।

क्रमश---

संख्या-21/1421(1)/पांच-8-2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया तत्काल योगदान सुनिश्चित करायें।
- 8- कोषाधिकारी, रायबरेली।
- 9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- ✓10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,


(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-22/1293/पांच-8-2016-जी0(96)/2016

लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4459/चि0-3-2010-08(नियुक्ति)/2010, दिनांक 30-12-2010 द्वारा डा0 अमरजीत सिंह वर्मा, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। डा0 वर्मा द्वारा अपनी योगदान आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 17-01-2011 द्वारा डा0 वर्मा की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढमुक्तेश्वर, गाजियाबाद में की गयी, जहां डा0 वर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। नवसृजित जनपद हापुड के गठन होने के फलस्वरूप उक्त चिकित्सालय हापुड के अधीन क्रियाशील है। वर्ष 2012 में डा0 वर्मा का चयन पी0जी0(चर्म, गुप्त एवं कुष्ठ रोग) में हो जाने के कारण दिनांक 21-04-2012 को अध्ययन अवकाश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पी0जी0 अध्ययनरत हो गये। डा0 वर्मा द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पत्र दिनांक 27-07-2015 द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 06-04-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 अमरजीत सिंह वर्मा, चिकित्साधिकारी पी0जी0 (चर्म, गुप्त एवं कुष्ठ रोग) को डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। डा0 वर्मा की पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 अमरजीत सिंह वर्मा, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 18-06-2016 तक डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया

संयुक्त सचिव।

क्रमशः

संख्या-22/1293(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 अमरजीत सिंह वर्मा, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 18-06-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ/लखनऊ मण्डल।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद/हापुड।
- 6- निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ।
- 7- कोषाधिकारी, गाजियाबाद/हापुड/लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।